उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून

शुद्धि पत्र

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) E&M/Civil एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) E&M/Civil के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26.2.2009 को प्रकाशित विज्ञापन में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किये जाते हैंः–

1. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम् योग्यता सम्बन्धी बिन्दु में निम्नलिखित भी सम्मिलित किया जाता है ।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) E&M कैडर हेतु विज्ञापन में इंगित अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) के अतिरिक्त ऐसी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) के अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिनकी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) में Electrical, Electronics या Mechanical शब्द सम्मिलित हो। उदाहरण स्वरूपः– Electrical & Electronics, Electronics & Communications, Mechanical & Production etc.

इसी प्रकार सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) Civil कैडर हेतु ऐसी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) के अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिनकी अभियान्त्रिकी शाखाओं (Branches) में Civil शब्द सम्मिलित हो। उदाहरण स्वरूपः– Civil & Environmental Engineering etc.

2. विज्ञापित पदों के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे जो वांछित अभियान्त्रिकी डिग्री/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत् हैं प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार अर्हता हेतु निर्धारित अंकों के साथ अन्तिम रूप से परीक्षा उत्तीर्ण होने के अंकपत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक दशा में दिनांक 31.7.2009 तक कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन), उपाकालि, ऊर्जा भवन, कांवली, देहरादून में प्रस्तुत कर दें । दिनांक 31.7.09 के पश्चात् प्राप्त अंक पत्र मान्य नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त समझी जायेगी।

3. आयु सीमा सम्बन्धी बिन्दु में निम्नलिखित संशोधन किया जाता हैः–

अभ्यर्थी की आयु की गणना दिनांक 1.1.2009 के स्थान पर दिनांक 1.7.2009 को की जायेगी। आयु सम्बन्धी शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

4. उपरोक्त विज्ञापन के आवेदन करने सम्बन्धी अन्य प्रावधान एवं निर्देश के बिन्दु–8 में निम्नलिखित भी सम्मिलित किया जाता हैः

- सहायक अभियन्ता पद हेतु केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन के साथ उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।

5. विज्ञापन के बिन्दु–9 को विलुप्त समझा जाये तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जायेः–

9. सहायक अभियन्ता पद हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अवर अभियन्ता पद हेतु साक्षात्कार का प्रावधान न होने के कारण सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अथवा अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा । अवर अभियन्ता पद हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में कार्यरत जिन अभ्यर्थियों द्वारा बिना उचित माध्यम अथवा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किये इस शुद्धि पत्र से पूर्व आवेदन किया जा चुका है ऐसे अभ्यर्थी अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि **उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन), उपाकालि, ऊर्जा भवन, कांवली, देहरादून** को निर्धारित अन्तिम तिथि **(20.4.09)** तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा ।

आवेदक अपने आवेदन पत्र के लिफाफे पर **"Application for the post of Assistant Engineer (E&M or Civil) /Junior Engineer (E&M or Civil) Trainee in UPCL"**, जो भी वांछित हो, अंकित कर, **साधारण डाक** द्वारा दिनांक 26.3.2009 के स्थान पर **दिनांक 20 अप्रैल, 2009** तक निम्नलिखित पते पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

The Advertiser, Post Bag No.-007, Sriniwaspuri Post Office, New Delhi-110065

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त विज्ञापन के अन्य प्रावधान एवं शर्तें यथावत् रहेंगी ।